



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 135/2018

अवधेश चन्द्र मिश्रा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत का चुनाव आयोग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – बृजेश कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपराजिता बंसल, राकेश कुमार चौधरी, वी.के. दुबे

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार चौधरी के वाद धारक श्री सत्यम यादव को सुना गया।
3. जनहित याचिका के रूप में दायर यह रिट याचिका वर्ष 2018 में निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई थी:
"I. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, प्रतिवादीगण को संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए एक मतदाता सूची तैयार करने हेतु आदेश दिया जाए।
II. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, प्रतिवादीगण को सभी मतदाताओं को आधार कार्ड से संबद्ध करने का आदेश दिया जाए।"
4. अनुतोष संख्या 1 के संबंध में, यदि कोई हेतुक हो तो याचिकाकर्ता इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत कर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

5. अनुतोष संख्या 2 के संबंध में, हमें सूचित किया गया है कि कुछ कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं। फिर भी, इस संबंध में भी यदि कोई हेतुक अभी भी शेष है, तो याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों सहित रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

14 जनवरी, 2026

आर.के.पी.